जम्मू-कश्मीर (विधि-विस्तारण) अधिनियम, 1956

(1956 का अधिनियम संख्यांक 62)

[25 सितम्बर, 1956]

जम्मू-कश्मीर राज्य पर कतिपय विधियों का विस्तार करने हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर (विधि-विस्तारण) अधिनियम, 1956 है ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. कतिपय विधियों का विस्तार और संशोधन—(1) अनुसूची में वर्णित अधिनियम और अध्यादेश और उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों, आदेशों तथा विनियमों का एतद्द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार किया जाता है और वे उस राज्य में प्रवृत्त होंगे ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से, अनुसूची में वर्णित अधिनियम और अध्यादेश उसमें यथाविनिर्दिष्ट रूप में संशोधित किए जाएंगे ।

3. जम्मू-कश्मीर राज्य में अप्रवृत्त विधियों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन—किसी ऐसी विधि के प्रति, जो जम्मू-कश्मीर में अप्रवृत्त है, अनुसूची में वर्णित किसी अधिनियम या अध्यादेश में किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है ।

4. जहां नए प्राधिकारी नियत किए गए हैं, वहां प्राधिकारियों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन—जम्मू-कश्मीर राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में उस विधि के पारित होने की तारीख को उस राज्य में किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्रति किसी निर्देश का, चाहे किसी भी प्रकार के शब्दों में हो, जहां उस राज्य पर अब विस्तारित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन तत्स्थानी नया प्राधिकारी नियत किया गया है, वहां इस प्रकार प्रभाव होगा मानो वह नए प्राधिकारी के प्रति निर्देश हो ।

5. निरसन और व्यावृत्ति—यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, जम्मू-कश्मीर राज्य में, उस राज्य को अब विस्तारित किसी अधिनियम या अध्यादेश की तत्स्थानी कोई विधि प्रवृत्त हो, तो वह विधि, इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, ऐसे प्रारम्भ पर निरसित हो जाएगी :

परन्तु निरसन का प्रभाव निम्नलिखित के बारे में नहीं होगा—

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि का पूर्वतर प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात,

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व,

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड, या

(घ) यथा उपर्युक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, चालू किया जा सकेगा या परिवर्तित किया जा सकेगा और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती उपबन्ध के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई (जिसमें की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, बनाया गया प्ररूप, उप-विधि या स्कीम, प्राप्त किया गया प्रमाण-पत्र, अनुदत्त अनुज्ञा-पत्र या अनुज्ञप्ति या किया गया रजिस्ट्रीकरण आते हैं) उस राज्य को अब विस्तारित उस विधि या अध्यादेश के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी और तद्नुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक उक्त अधिनियम या अध्यादेश के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न की गई हो ।

---

[1] 1-11-1956, देखिए अधिसूचना सं० का०नि०आ० 2327, तारीख 10-10-1956, भारत का राजपत्र, भाग 2, अनुभाग 3, पृ० 1728 ।

6. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(1) यदि जम्मू-कश्मीर राज्य पर अब विस्तारित किसी विधि या अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई ऐसा अधिसूचित आदेश,—

(क) धारा 4 के अर्थ के भीतर तत्स्थानी प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा,

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी मामले को निपटाने हेतु तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, या प्राधिकारी को अन्तरित करने के लिए उपबन्ध कर सकेगा,

(ग) ऐसे क्षेत्र या परिस्थितियां विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनमें या ऐसी सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिस तक या ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन उस धारा द्वारा निरसित किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसमें धारा 5 के द्वितीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट मामलों में से कोई मामला भी है) अब विस्तारित अधिनियम या अध्यादेश के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन मान्य होगी या प्रभावी होगी ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

अधिनियम

अफीम अधिनियम, 1857

(1857 का अधिनियम सं० 13)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873

(1873 का अधिनियम सं० 5)

धारा 1—"जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

(1881 का अधिनियम सं० 26)

धारा 1—"जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 3—"भारत" की परिभाषा का लोप करें ।

धारा 137—"या जम्मू-कश्मीर राज्य" का लोप करें ।

पुलिस अधिनियम, 1888

(1888 का अधिनियम सं० 3)

धारा 1—उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।"।

इंडियन मर्चेन्डाइज मार्क्स ऐक्ट, 1889

(1889 का अधिनियम सं० 4)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (6) का लोप करें ।

पशुधन आयात अधिनियम, 1898

(1898 का अधिनियम सं० 9)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (ग) में, "वे राज्यक्षेत्र जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है", के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

धारा 3—उपधारा (1) में, "वे राज्यक्षेत्र, जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है", के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906

(1906 का अधिनियम सं० 3)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 23—"वे राज्यक्षेत्र, जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है", के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911

(1911 का अधिनियम सं० 2)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—(क) खण्ड (1) में, "और जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में, उस राज्य का महा-अधिवक्ता" को जोड़ दें ।

(ख) खण्ड (7क) का लोप करें ।

धारा 80—(क) उपधारा (1) के प्रारम्भिक पैरा में, "यदि" शब्दों से शुरू होने वाले और "जिस पर यह अधिनियम विस्तारित होता है" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, प्रतिस्थापित करें—

"यदि—

(i) जम्मू-कश्मीर राज्य से भिन्न किसी भाग ख राज्य के संबंध में, 18 अप्रैल, 1950, तथा

(ii) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में, जम्मू-कश्मीर (विधि-विस्तारण) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ की तारीख, के ठीक पूर्व सम्बद्ध भाग ख राज्य में इस अधिनियम की तत्स्थानी कोई विधि प्रवृत्त होती है ।"।

(ख) उपधारा (2) में, "भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951 (1951 का 3) की धारा 6" के पश्चात् " या जम्मू-कश्मीर (विधि-विस्तारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5," अन्तःस्थापित करें ।

नाशक कीट तथा नाशक जीव अधिनियम, 1914

(1914 का अधिनियम सं० 2)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (घ) का लोप करें ।

धारा 4ग का लोप करें ।

धारा 5क—"या भारत से जम्मू-कश्मीर राज्य को किसी ऐसी वस्तु या कीट का निर्यात करता है या निर्यात करने का प्रयत्न करता है, जिसके बारे में धारा 4ग के अधीन अधिसूचना जारी की गई है" का लोप करें ।

इंडियन कापीराइट ऐक्ट, 1914

(1914 का अधिनियम सं० 3)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (1क) का लोप करें ।

इंडियन काटन सेस ऐक्ट, 1923

(1923 का अधिनियम सं० 14)

धारा 1—उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित करें—

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर निर्भर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को वहां तक के सिवाय लागू नहीं होगा जहां तक इस अधिनियम के उपबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट उपकर के उद्ग्रहण और वसूली से संबंधित हैं ।"।

धारा 3—(क) उपधारा (1) में "वे राज्यक्षेत्र, जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है" और "वे उक्त राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

(ख) उपधारा (2) में, "वे राज्यक्षेत्र जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

भारतीय सैनिक (मुकदमा) अधिनियम, 1925

(1925 का अधिनियम सं० 4)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930

(1930 का अधिनियम सं० 2)

सम्पूर्ण अधिनियम में "राज्यों" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (ठठ) का लोप करें ।

इंडियन लॉक सेस ऐक्ट, 1930

(1930 का अधिनियम सं० 24)

धारा 1—उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित करें :

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को वहां तक के सिवाय लागू नहीं होगा जहां तक इस अधिनियम के उपबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट उपकर के उद्ग्रहण और वसूली से संबंधित हैं ।"।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

(1934 का अधिनियम सं० 2)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (छ) का लोप करें ।

धारा 26 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें :—

"**26क. कुछ बैंक नोट वैध निविदा न रहेंगे**—धारा 26 में किसी बात के होते हुए भी, 1946 की जनवरी के तेरहवें दिन के पूर्व निर्गमित पांच सौ रुपए, एक हजार रुपए या दस हजार रुपए के अंकित मूल्य का कोई बैंक नोट उसमें अभिव्यक्त राशि की अदायगी या लेखे वैध निविदा नहीं रहेगा ।"।

पैट्रोलियम अधिनियम, 1934

(1934 का अधिनियम सं० 30)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (घ) के स्थान पर, प्रतिस्थापित करें—

"(घ) 'पैट्रोलियम का परिवहन करना" से भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान को पैट्रोलियम ले जाना अभिप्रेत है ;'।

खण्ड (ङ) में "वे राज्यक्षेत्र, जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

बीमा अधिनियम, 1938

(1938 का अधिनियम सं० 4)

सम्पूर्ण अधिनियम में "राज्य" और "भारत के राज्य" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (14क) का लोप करें ।

धारा 114—उपधारा (2) के खण्ड (ख) में "भारत में या" और "यथास्थिति" का लोप करें ।

ट्रेड मार्क्स ऐक्ट, 1940

(1940 का अधिनियम सं० 5)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा **2**—उपधारा (1) में, खण्ड (घघ) का लोप करें ।

कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940

(1940 का अधिनियम सं० 27)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 3—उपधारा (1) में, "वे राज्यक्षेत्र जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

इंडियन कोकोनट कमिटी ऐक्ट, 1944

(1944 का अधिनियम सं० 10)

धारा 1—उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को वहां तक के सिवाय लागू नहीं होगा जहां तक इस अधिनियम के उपबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और वसूली से संबंधित हैं ।"।

धारा 3—उपधारा (1) में, "वे राज्यक्षेत्र जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है" और "वे उक्त राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

इंडियन आयल सीड्स कमिटी ऐक्ट, 1946

(1946 का अधिनियम सं० 9)

धारा 1—उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को वहां तक के सिवाय लागू नहीं होगा जहां तक इस अधिनियम के उपबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क के उद्ग्रहण और वसूली से संबंधित हैं ।"।

धारा 3—उपधारा (1) में,—

(क) "वे राज्यक्षेत्र जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है", के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ;

(ख) दो स्थानों में आने वाले "वे उक्त राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946

(1946 का अधिनियम सं० 25)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947

(1947 का अधिनियम सं० 7)

सम्पूर्ण अधिनियम में "राज्यों" और "भारत के राज्यों" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (ड) का लोप करें और खण्ड (ढ) को खण्ड (ड) के रूप में पुनः अक्षरांकित करें ।

एन्टीक्कीटीज (एक्सपोर्ट कंट्रोल) ऐक्ट, 1947

(1947 का अधिनियम सं० 31)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (ख) में, "वे राज्यक्षेत्र जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

एटामिक एनर्जी ऐक्ट, 1948

(1948 का अधिनियम सं० 29)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 15—उपधारा (3) में, "भारत का महा-अधिवक्ता" के स्थान पर "भारत का महान्यायवादी" प्रतिस्थापित करें ।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

(1949 का अधिनियम सं० 10)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 5—उपधारा (1) में, खण्ड (छछ) का लोप करें ।

धारा 11—उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में, "भारत में" के स्थान पर "किसी राज्य में" प्रतिस्थापित करें ।

बैंककारी कम्पनी (विधि व्यवसायियों के मुवक्किलों के खाते) अधिनियम, 1949

(1949 का अधिनियम सं० 46)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950

(1950 का अधिनियम सं० 12)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

पब्लिक प्रिमिसेस (इविक्शन) ऐक्ट, 1950

(1950 का अधिनियम सं० 27)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—उपधारा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

(ख) "[1][सरकारी स्थान]" से,—

(i) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व का या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की ओर से अर्जित किया गया या अधिग्रहण किया गया कोई स्थान [2]*** अभिप्रेत है ; और

(ii) शेष भारत के संबंध में, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व का या उसके द्वारा पट्टे पर लिया गया या अधिग्रहण किया गया या स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिगृहीत कोई स्थान अभिप्रेत है, तथा दिल्ली राज्य के संबंध में, [3][दिल्ली सुधार न्यास में या उस राज्यक्षेत्र में किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित कोई स्थान भी इसमें सम्मिलित है, चाहे ऐसे स्थान [4]***, यथास्थिति, उस न्यास या स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में हो या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए हों]" ।

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम सं० 63)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

---

[1] 1957 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा (25-9-1956 से) "सरकारी स्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1957 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 और दूसरी द्वारा "या भूमि" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 1957 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा (25-9-1956 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1957 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा (25-9-1956 से) "या भूमि" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

राज्य सशस्त्र पुलिस बल (विधियों का विस्तारण) अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम सं० 63)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1953

(1953 का अधिनियम सं० 12)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

'(क) "नियत दिन" से—

(i) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में, वह तारीख अभिप्रेत है जिसको जम्मू-कश्मीर (विधि-विस्तारण) अधिनियम, 1956 उस राज्य में प्रवृत्त होता है ; और

(ii) शेष भारत के संबंध में 15 फरवरी, 1953 अभिप्रेत है ।'।

धारा 3—उपधारा (2) में, "वे राज्यक्षेत्र जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

नमक उपकर अधिनियम, 1953

(1953 का अधिनियम सं० 49)

धारा 1—उपधारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 3—"वे राज्यक्षेत्र जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

कम्पनी अधिनियम, 1956

(1956 का अधिनियम सं० 1)

धारा 1—उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित करें—

"(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को वहां तक के सिवाय लागू नहीं होगा जहां तक इस अधिनियम के उपबन्ध बैंककारी, बीमा तथा वित्तीय निगमों के निगमन, विनियमन और परिसमापन से संबंधित हैं ।"।

धारा 2—खण्ड (20) का लोप करें ।

धारा 3—उपधारा (1) में, खंड (ii) के उपखंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"(च) पूर्वोक्त किसी भी ऐक्ट या आर्डिनेन्स की तत्स्थानी कोई भी विधि जो—

(1) विलयित राज्यक्षेत्रों में या (जम्मू-कश्मीर के सिवाय) भाग ख राज्यों में या उनके किसी भाग में उस समय के पूर्व प्रवृत्त थी जब इण्डियन कंपनीज ऐक्ट, 1913 (1913 का 7) का विस्तार उन पर किया गया था ; अथवा

(2) जम्मू-कश्मीर राज्य में या उसके किसी भाग में जम्मू-कश्मीर (विधि विस्तारण) अधिनियम, 1956 का प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त थी ;"।

उपधारा (2) में खण्ड (ख) का लोप करें ।

धारा 226—उपधारा (2) के खण्ड (क) में, अथवा "जम्मू-कश्मीर (विधि-विस्तारण) अधिनियम, 1956" के पश्चात् "उसे इस बात का हकदार करने के लिए" अन्तःस्थापित करें ।

धारा 558—उपधारा (1) में स्पष्टीकरण का लोप करें ।

धारा 565—उपधारा (3) में या "जम्मू-कश्मीर राज्य में" का लोप करें ।

धारा 582—खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) में, "या 26 जनवरी, 1950 के ठीक पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में" का लोप करें ।

अध्यादेश

करेन्सी अध्यादेश, 1940

(1940 का अध्यादेश सं० 4)

धारा 1—उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—"वे राज्यक्षेत्र जिन पर यह अध्यादेश विस्तारित होता है" और "उक्त राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित करें ।

———